112

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बडौदिया

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S. कैम्प दिनांक 28.05.2018

राजस्व वाद संख्या :– 106/2016

दायर तारीख :– 04.11.2016

1. पूरण } पुत्रान लच्छू
2. रिछपाल
3. नाथी देवी पत्नी लच्छू
4. तोफली देवी पत्नी रामकंवार
5. हंसराज } पुत्रान रामकंवार
6. सरदारा
7. भागीरथ } पुत्रान छींतर
8. प्रभू
9. कैलाश
10. नानूराम } पुत्राण पांचू
11. प्रभू
12. रामकरण
13. श्रवणलाल
14. भोरिया पुत्र गणेश (फौत)
    - 14/1. केशरी देवी पत्नी भोरिया उर्फ भंवरा
    - 14/2. गिरधारी } पुत्रान भोरिया उर्फ भंवरा
    - 14/3. रामू
    - 14/4. लक्ष्मण
    - 14/5. ज्ञानाराम
    - 14/6. दडकी देवी पुत्री भोरिया उर्फ भंवरा
15. रामचन्द्र } पुत्रान गणेश
16. रूघा

} समस्त जाति गुर्जर निवासी पूठावाला ग्राम पंचायम बडौदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

2. भंवरा } पुत्रान गोदू उर्फ गोदा जाति गुर्जर निवासी पूठावाला ग्राम पंचायत बडौदिया तहसील विराटनगर
3. सूरज
4. हनुमान

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

पीठासीन अ[धिकारी]
राजस्व लोक अ[दालत]
न्याय आपके द्वा[र]

Scanned by CamScanner

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड, नक्शा दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता वादीगण
श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता तरतीबी प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2330/0.22 हैक्टेयर वादी संख्या 1 लगायत 16 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी खसरा नम्बर 2330 साबिक खसरा नम्बर 1622/8 मिन से बना है तथा खसरा नम्बर 2365/3143 साबिक खसरा नम्बर 1622 से बनाया गया है। सैटिलमेंट पूर्व वादीगण के पूर्वज मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2027 छींतर व पांचू पिता बल्लू गोद्या वल्द श्योजी, गणेश पुत्र बल्लू गुर्जर साबिक खसरा नम्बर 1622/8 पर काबिज काश्त थे तथा अपने मकानात बना रखा था, तथा साबिक नक्शा रिकार्ड सही जगह यानी उत्तर दिशा की ओर तरमीम था, जो सही था, इसी प्रकार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के बुजुर्ग गोदू पुत्र श्योजी के नाम साबिक खसरा नम्बर 1622 से नया नम्बर 2365/3143 बनाया गया था। साबिक खसरा नम्बर 1622 काफी बडा नम्बर था यानी करीब 200 बीघा से अधिक था, जिसमे से हाल खसरा नम्बर 2365/3143 रकबा 0.38 हैक्टेयर का बनाया गया, जो साबिक नक्शे में दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर रखा था, जो सही जगह पर था, जिस पर तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग काबिज थे। सैटिलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने साबिक नक्शा तरमीम को हाल नक्शा रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर की तरमीम दोनो की विपरीत कर दी है, यानी वादीगण का हाल खसरा नम्बर 2330 को साबिक खसरा नम्बर 1622/8 की जगह के बजाय तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे वाली भूमि को दर्शा दिया गया और गलत तरमीम कर दी है। इसी प्रकार तरतीबी प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर को नये नक्शा रिकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 1622 के स्थान के बजाय वादीगण के कब्जे वाली जगह उत्तर की ओर हाल खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर दर्शा कर तरमीम कर दी गई, जो आपस में एक–दूसरे के उल्टा सीधा हो गई। अतः निवेदन है कि वादी संख्या 1 लगायत 16 की हाल जमाबन्दी संवत्

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदाल...
न्याय आपके द्वार–2018

2070–2073 दर्ज रिकार्ड खातेदारी हाल खसरा नम्बर 2330/0.22 हैक्टेयर भूमि को हाल नक्शा रिकार्ड में साबिक नक्शा रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1622/8 मिन के स्थान पर यानी हाल खसरा नम्बर 2365/3143 की जगह हाल नक्शे मे लाल स्याही से तरमीम कर शुद्धिकरण डिक्री आदेश फरमाये तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 रिकार्ड खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2365/3143 को साबिक नक्शा रिकार्ड तरमीम के मुताबिक हाल नक्शा रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बर 2330 के स्थान पर लाल स्याही से अंकित कर नक्शे में शुद्धि तरमीम डिक्री आदेश फरमावें तथा बाद शुद्धि तरमीम नक्शा आदेश तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस चकतरासी तरमीमी, खतौनी बन्दोबस्त, नकल जमाबन्दी संवत् 2046 पेश किये।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। तरतीबी प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया।

4. तरतीबी प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि साबिक खसरा नम्बर 1622 के हाल खसरा नम्बर 2365/3143 से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि पर पहले तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज गोदा व उसकी मृत्यु बाद तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 2330 की खातेदारी में दर्ज प्रेम देवी, श्रवण देवी पुत्री लच्छू, चौथी, नारायणी, घींसी पुत्रीयां छींतरमल व बीरबल, नारायणी के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जिससे वाद चलने योग्य नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 1622/8 रकबा 1 बीघा के 1/3 भाग का खातेदार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का पूर्व गोदा था व गोदा की मृत्यु बाद तरतीबी प्रतिवादी अपने हिस्सा 1/3 भाग पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 1622 के हाल खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर पर तरतीबी प्रतिवादी अपने पूर्वज गोदा के समय से साबिक खसरा नम्बर 1622 के स्थान पर काबिज है, जिससे वादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है, किन्तु हाल खसरा नम्बर 2365/3143 को हाल नक्शा से मौकास्थिति के विपरीत दर्शाने से वादीगण के मन में बदनियती आ गयी है, व वादीगण, तरतीबी

2/8/16
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं। हाल नक्शा ट्रेस में दर्ज खसरा नम्बर 2365/3143 के पश्चिम में हाल खसरा नम्बर 2340, 2351 स्थित है, जिसकी खातेदारी वादी संख्या 10 लगायत 13 व उनकी माता नारायणी देवी के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1622/8 का भाग है, जो गलत रूप से हाल सैटिलमेंट में सिवायचक गैरमुमकीन पहाड दर्ज कर दी व वादी संख्या 10 लगायत 13 के पिता पांचू ने अलाट करवाली, जिससे वादी संख्या 10 लगायत 13 का व उनके पिता का कोई संबंध नहीं रहा है।

5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडौदिया में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। वाके ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2330/0.22 हैक्टेयर वादी संख्या 1 लगायत 16 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी है, तथा खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी खसरा नम्बर 2330 साबिक खसरा नम्बर 1622/8 मिन से बना है तथा खसरा नम्बर 2365/3143 साबिक खसरा नम्बर 1622 से बनाया गया है। मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2027 छींतर व पांचू पिता बल्लू गोद्या वल्द श्योजी, गणेश पुत्र बल्लू गुर्जर साबिक खसरा नम्बर 1622/8 पर काबिज काश्त थे। साबिक खसरा नम्बर 1622 काफी बडा नम्बर करीब 200 बीघा से अधिक था, जिसमे से हाल खसरा नम्बर 2365/3143 रकबा 0.38 हैक्टेयर का बनाया गया, जिसका साबिक नक्शे में दक्षिण दिशा की तरफ तरमीम कर रखा था। उपस्थित तरतीबी प्रतिवादीगण का निवेदन रहा कि साबिक खसरा नम्बर 1622 के हाल खसरा नम्बर 2365/3143 से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। यह भी कि वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 2330 की खातेदारी में दर्ज प्रेम देवी, श्रवण देवी पुत्री लच्छू, चौथी, नारायणी, घींसी पुत्रीयां छींतरमल व बीरबल, नारायणी के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। साबिक खसरा नम्बर 1622 के हाल खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर पर तरतीबी प्रतिवादी अपने पूर्वज गोदा के समय से साबिक खसरा नम्बर 1622 के स्थान पर काबिज है, जिससे वादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। उभय पक्षकारान द्वारा अपने वादपत्र व राजीनामा के संबंध में कोई भी पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किया है, न ही प्रस्तुत वाद में वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 2330 की खातेदारी में दर्ज प्रेम देवी, श्रवण देवी पुत्री लच्छू,

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदाल...
न्याय आपके द्वार–2018

Scanned by CamScanner

114

चौथी, नारायणी, पीसी पुत्रीयां छीतरमल व बीरबल, नारायणी के वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य अभाव में प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अतः दावा सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

वादी का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे। निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बडौदिया दिनांक 28.05.2018 को सुनाया गया।

2/6

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार–2018

उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

115

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडौदिया

न्याय आपके द्वार–2018

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. पूरण } पुत्रान लच्छू
2. रिछपाल }
3. नाथी देवी पत्नी लच्छू
4. तोफली देवी पत्नी रामकंवार
5. हंसराज } पुत्रान रामकंवार
6. सरदारा }
7. भागीरथ }
8. प्रभू } पुत्रान छींतर
9. कैलाश }
10. नानूराम }
11. प्रभू } पुत्राण पांचू
12. रामकरण }
13. श्रवणलाल }
14. भोरिया पुत्र गणेश (फौत)
   14/1. केशरी देवी पत्नी भोरिया उर्फ भंवरा
   14/2. गिरधारी }
   14/3. रामू } पुत्रान भोरिया उर्फ भंवरा
   14/4. लक्ष्मण }
   14/5. ज्ञानाराम }
   14/6. दडकी देवी पुत्री भोरिया उर्फ भंवरा
15. रामचन्द्र } पुत्रान गणेश
16. रूघा }

} समस्त जाति गुर्जर निवासी पूठावाला ग्राम पंचायम बडौदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर

–– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

–– प्रतिवादीगण

2. भंवरा }
3. सूरज } पुत्रान गोदू उर्फ गोदा जाति गुर्जर निवासी पूठावाला ग्राम पंचायत बड़ौदिया तहसील विराटनगर
4. हनुमान }

–– तरतीबी प्रतिवादीगण

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर, जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकद्दमा नम्बर/नजरसानी संख्या 106/2016 दावा बावत दुरूस्ती रिकार्ड, नक्शा दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू श्री अनिल कुमार कौशिक एडवोकेट व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट तरतीबी प्रतिवादी कार्यवाही मिन. जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 लगायत 16 की हाल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 दर्ज रिकार्ड खातेदारी हाल खसरा नम्बर 2330/0.22 हैक्टेयर भूमि को हाल नक्शा रिकार्ड में साबिक नक्शा रिकार्ड अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1622/8 मिन के स्थान पर यानी हाल खसरा नम्बर 2365/3143 की जगह हाल नक्शे मे लाल स्याही से तरमीम कर शुद्धिकरण डिक्री आदेश फरमाये तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 रिकार्ड खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2365/3143 को साबिक नक्शा रिकार्ड तरमीम के मुताबिक हाल नक्शा रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 2365/3143/0.38 हैक्टेयर को हाल खसरा नम्बर 2330 के स्थान पर लाल स्याही से अंकित कर नक्शे में शुद्धि तरमीम डिक्री आदेश फरमावें तथा बाद शुद्धि तरमीम नक्शा आदेश तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडौदिया में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। उभय पक्षकारान ने प्रस्तुत प्रकरण में अपने वादपत्र व राजीनामा के समर्थन में पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अतः साक्ष्य अभाव में वाद साबित नहीं होता है। अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बडौदिया दिनांक 28.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंडे) R.A.S
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.....................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी
सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को
जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

(मुकेश कुमार मूंड)
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के
जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner